# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :- अंशुल आमेरिया (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :- 10 / 2022

## उनवान

इन्द्रा टाक पत्नी पुष्कर नारायण जाति कलाल निवासी 325 नसीराबाद, अजमेर
--- प्रार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, नसीराबाद
-- अप्रार्थी :- जरियें राज0 पैरोकार

---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

---

-: आदेश :- दिनांक :- 12.1.23

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल नान्ला के खसरा नम्बर 4813 / 1003 रकबा 0.1150 व 4814 / 1003 रकबा 0.40 प्रार्थी की खातेदारी आराजी है उक्त भूमि पर प्रवेश करने हेतु खसरा नम्बर 1004 व 1005 में से होकर आवागमन किया जाता है। जो कि सिवायचक भूमि है। उक्त रास्ता प्रार्थी के आवागमन का एकमात्र रास्ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्गधिकार प्रार्थी के पास नही है। अतः प्रार्थी को हाल खसरा नम्बर 1004 व 1005 में से 30 आवागमन हेतु 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद ने मौका रिपोर्ट पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम नान्दला के खसरा नम्बर 4813 / 1003 रकबा 0.1150 व 4814 / 1003 रकबा 0.40 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 4813 / 1004 औधोगिक प्रयोजनार्थ लीज पर है तथा 4813 / 1003 कृषि भूमि है। खसरा नम्बर 1004 रकबा 0.08 व 1005 रकबा 0.10 अप्रार्थी संख्या 1 की है जो सिवायचक खाते में दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित खसरा नम्बर 4813 / 1003 रकबा 0.1150 व 4814 / 1003 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1005 में से 164 वर्ग मीटर व 1004 में से 19 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता हैं। दीर्घतम रास्ते हेतु उक्त [illegible] नम्बर मे 549 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। न्यूनतम मार्ग [illegible] / वर्ग मीटर होता है। जिसकी डी0एल0सी0 दर से राशि 64200/- [illegible] के लिये अन्य कोर्द रास्ता उपलब्ध नही है अतः रास्ता दिया जाना उचित होगा। प्रस्तावति रास्ते का [illegible] नक्शा भी

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:04:08 IST
Reason: SelfAttested

पेश किया गया।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग मौके पर नही है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग के खण्डन हेतु प्रकरण में कोई तथ्य उपलब्ध नही है। मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु कोई तथ्य अंकित नही किया है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। मौका रिपोर्ट में बताये गये मार्ग को उपलब्ध कराने से प्रार्थी के हितो की पूर्ति भी होती है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम नान्दला के खसरा नम्बर 1004 में से 19 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 1005 में से 164 वर्गमीटर भूमि रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 1004 व 1005 की आराजी के बदले 64200/ अक्षरे चौसठ हजार दो सौ रूपये राजकोष में जमा करवा कर गै0मु0रास्ते का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:04:08 IST
Reason: SelfAttested